भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली
पाक्षिक समाचार

सम्पर्क

आज़ादी का अमृत महोत्सव

खण्ड–XXVIII अंक–5 15 मार्च, 2023

अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतम। तथापि त्वं महाबाहो नैवं भोचितुमर्हसि।।

किन्तु यदि तू इस आत्मा को सदा जन्मनेवाला तथा सदा मरने वाला मानता हो, तो भी हे महाबाहो! तू इस प्रकार शोक करने को योग्य नहीं है। **श्रीमद्भगवद्गीता 2/26**

बधाई (चयन/पदोन्नति)

स्थापना अनुभाग–1 से प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार निम्नलिखित संकाय सदस्यों को उनके नाम के आगे दिए गए पद के लिए चयनित/पदोन्नत किया गया है–

संकाय सदस्य का नाम	पिछला पदनाम	नया पदनाम	विभाग/केन्द्र	वेतनमान
प्रो. जयंत जैन	सह प्रोफेसर	प्रोफेसर	पदार्थ विज्ञान एवं इंजीनियरी	1,59,100–2,20,200 (लेवल–14ए)
प्रो. दीपक कुमार	सह प्रोफेसर	प्रोफेसर	कार्ट	1,59,100–2,20,200 (लेवल–14ए)
प्रो. (सुश्री) शाहाब फातिमा	सहायक प्रोफेसर	सह प्रोफेसर	कार्ट	1,39,600–2,11,300 (लेवल–13ए2)
प्रो. सरोज कांत मिश्रा	सह प्रोफेसर	प्रोफेसर	वायुमण्डलीय विज्ञान	1,59,100–2,20,200 (लेवल–14ए)
प्रो. विमलेश पंत	सह प्रोफेसर	प्रोफेसर	वायुमण्डलीय विज्ञान	1,59,100–2,20,200 (लेवल–14ए)
प्रो. हरीश चौधरी	सह प्रोफेसर	प्रोफेसर	प्रबन्ध अध्ययन	1,59,100–2,20,200 (लेवल–14ए)
प्रो. एस. जनार्धनन	सह प्रोफेसर	प्रोफेसर	विद्युत इंजीनियरी	1,59,100–2,20,200 (लेवल–14ए)
प्रो. अमित कुमार जैन	सह प्रोफेसर	प्रोफेसर	विद्युत इंजीनियरी	1,59,100–2,20,200 (लेवल–14ए)

	प्रो. ललन कुमार	सहायक प्रोफेसर	सह प्रोफेसर	विद्युत इंजीनियरी	1,39,600–2,11,300 (लेवल–13ए2)
	प्रो. देबदिप गांगुली	सहायक प्रोफेसर	सह प्रोफेसर	गणित	1,39,600–2,11,300 (लेवल–13ए2)
	प्रो. सितिकांत रॉय	सह प्रोफेसर	प्रोफेसर	अनुप्रयुक्त यांत्रिकी	1,59,100–2,20,200 (लेवल–14ए)
	प्रो. अजीत कुमार	सह प्रोफेसर	प्रोफेसर	अनुप्रयुक्त यांत्रिकी	1,59,100–2,20,200 (लेवल–14ए)
	प्रो. मनोजकुमार चरणदास रामटेक	सह प्रोफेसर	प्रोफेसर	रासायनिक इंजीनियरी	1,59,100–2,20,200 (लेवल–14ए)
	प्रो. (सुश्री) गजाला हबीब	सह प्रोफेसर	प्रोफेसर	सिविल इंजीनियरी	1,59,100–2,20,200 (लेवल–14ए)
	प्रो. अरविंद कृष्णा स्वामी	सह प्रोफेसर	प्रोफेसर	सिविल इंजीनियरी	1,59,100–2,20,200 (लेवल–14ए)
	प्रो. (सुश्री) धान्या सी.टी.	सह प्रोफेसर	प्रोफेसर	सिविल इंजीनियरी	1,59,100–2,20,200 (लेवल–14ए)
	प्रो. निजामुद्दीन	सहायक प्रोफेसर	सह प्रोफेसर	सिविल इंजीनियरी	1,39,600–2,11,300 (लेवल–13ए2)
	प्रो. मनोज एम.	सहायक प्रोफेसर	सह प्रोफेसर	सिविल इंजीनियरी	1,39,600–2,11,300 (लेवल–13ए2)
	प्रो. हेमन्त कुमार कश्यप	सह प्रोफेसर	प्रोफेसर	रसायन विज्ञान	1,59,100–2,20,200 (लेवल–14ए)
	प्रो. सुदीप्ता राह रॉय	सहायक प्रोफेसर	सह प्रोफेसर	रसायन विज्ञान	1,39,600–2,11,300 (लेवल–13ए2)
	प्रो. आदितेश्वर सेठ	सह प्रोफेसर	प्रोफेसर	कंप्यूटर विज्ञान एवं इंजीनियरी	1,59,100–2,20,200 (लेवल–14ए)

	प्रो. चेतन अरोड़ा	सह प्रोफेसर	प्रोफेसर	कंप्यूटर विज्ञान एवं इंजीनियरी	1,59,100–2,20,200 (लेवल–14ए)
	प्रो. पराग सिंघला	सह प्रोफेसर	प्रोफेसर	कंप्यूटर विज्ञान एवं इंजीनियरी	1,59,100–2,20,200 (लेवल–14ए)
	प्रो. सौरव बंसल	सह प्रोफेसर	प्रोफेसर	कंप्यूटर विज्ञान एवं इंजीनियरी	1,59,100–2,20,200 (लेवल–14ए)
	प्रो. श्रीकांत बेदाथुर जगन्नाथ	सह प्रोफेसर	प्रोफेसर	कंप्यूटर विज्ञान एवं इंजीनियरी	1,59,100–2,20,200 (लेवल–14ए)

त्यागपत्र

- स्थापना अनुभाग– I से प्राप्त विज्ञप्ति सं. IITD/IESI/2023/124423 दिनांक 06.03.2023 के अनुसार **डॉ. (सुश्री) दीपिका रानी,** पोस्ट डॉक्टरल फेलो (भौतिकी विभाग) ने अपने पद से त्यागपत्र का अनुरोध किया था। जिसे सक्षम प्राधिकारी ने 20.03.2023 से स्वीकार कर लिया है। अतः डॉ. (सुश्री) दीपिका रानी को 20.03.2023 से संस्थान कार्य से मुक्त कर दिया जाएगा।

- स्थापना अनुभाग– I से प्राप्त विज्ञप्ति सं. IITD/IESI/2023/123919 दिनांक 23.02.2023 के अनुसार **डॉ. मृणाल कान्ति अदक,** पोस्ट डॉक्टरल फेलो (रसायन विज्ञान विभाग) ने अपने पद से त्यागपत्र का अनुरोध किया था। जिसे सक्षम प्राधिकारी ने 28.02.2023 से स्वीकार कर लिया है। अतः **डॉ.** मृणाल कान्ति अदक को 28.02.2023 से संस्थान कार्य से मुक्त कर दिया गया है।

- स्थापना अनुभाग– I से प्राप्त विज्ञप्ति सं. IITD/IESI/U-3/2023/124861 दिनांक 21.02.2023 के अनुसार **प्रो. दीपक रोन्नकी,** सहायक प्रोफेसर (ग्रेड-II) (ऊर्जा विज्ञान एवं इंजीनियरी विभाग) ने अपने पद से त्यागपत्र का अनुरोध किया था। जिसे सक्षम प्राधिकारी ने 22.02.2023 से स्वीकार कर लिया है। अतः प्रो दीपक रोन्नकी को 22.02.2023 से संस्थान कार्य से मुक्त कर दिया गया है।

राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत अनिवार्य रुप से द्विभाषी जारी किए जाने वाले कागजात

1 सामान्य आदेश/General Orders
2 संकल्प/Resolution
3 परिपत्र/Circulars
4 नियम/Rules
5 प्रशासनिक या अन्य प्रतिवेदन/ Administrative or other reports
6 प्रेस विज्ञप्तियाँ/Press Release/ Communiques
7 संविदाएँ/Contracts
8 करार/Agreements
9 अनुज्ञप्तियाँ/Licences
10 निविदा प्रारुप/Tender Forms
11 अनुज्ञा पत्र/Permits
12 निविदा सूचनाएँ/Tender Notices
13 अधिसूचनाएँ/Notifications
14 संसद के समक्ष रखे जाने वाले/प्रतिवेदन तथा कागज पत्र/ Reports and documents to be laid before the Parliament

राजभाषा हिन्दी के अनुसार राज्यों का वर्गीकरण

क्षेत्र क – बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड़, उत्तराखंड, राजस्थान और उत्तर प्रदेश तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र।

क्षेत्र ख –गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब राज्य तथा चंडीगढ़, दमन और दीव तथा दादरा और नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र।

क्षेत्र ग – खंड (1) और (2) में निर्दिष्ट राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से भिन्न राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र।

राजभाषा नियम 1976 नियम 5

राजभाषा नियम 1976 के नियम 5 के अनुसार हिंदी में प्राप्त पत्रों के उत्तर आवश्यक रूप से हिंदी में दिए जाएं (अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों की पावती हिंदी में भेजे)। अतः सभी विभाग/केन्द्र/अनुभाग/प्रकोष्ठ/एकक आदि को सूचित किया जाता है कि वे हिंदी में प्राप्त सभी पत्रों का उत्तर केवल हिंदी में दें और उनका रिकॉर्ड रखें।

आजादी का अमृत महोत्सव

भरे हुए थे हमारे भंडार

अमेरिकी उपन्यासकार कैथरिन मेयो ने भारतीय संस्कृति और जीवन पर आधारित उपन्यास 'मदर इंडिया' लिखा, जिसमें बताया गया था कि भारत में केवल अज्ञान और गंदगी ही है, कुछ भी अच्छा या सभ्य नहीं। उस पुस्तक के मत–विचार का सटीक उत्तर देते हुए लाला लाजपत राय ने 'दुखी भारत' नामक पुस्तक लिखी। लाला लाजपत राय की पुण्यतिथि (17 नवंबर) पर पढ़िए इसका एक अंश....

मदर इंडिया की लेखिका के लिए यह देश न केवल वर्तमान समय में बल्कि सदा से ही 'दरिद्रता का घर' रहा हैं। इस बात को वह पूरी गंभीरता के साथ कहती है और अपनी सम्मतियों को ऐतिहासिक खोजों के आधार पर भी उपस्थित करने का ढोंग रचती है। परंतु उसको इतिहास का उतना ही कम ज्ञान है जितनी शीघ्रता के साथ वह बिना विचारे अपनी सम्मतियां निश्चित करती है। उसका थोथा ऐतिहासिक ज्ञान उस समय उसे और भी नीचे गिरा देता है, जिस समय वह सिखों के विद्रोह को 1845 की घटना बताने लगती है। श्रीयुत एडवर्ड थामसन ठीक ही यह प्रश्न करते हैं कि आखिर सिखों ने विद्रोह किया किसके विरूद्ध? अभी तक अंग्रेजों ने उनके देश को अपने राज्य में नहीं मिलाया था। क्या उन्होंने स्वयं अपने स्वजातीय शासन के विरूद्ध विद्रोह किया था? कदाचित यह बात स्वयं इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। परंतु इसका यह अर्थ अवश्य है कि पाठकों को मिस मेयो के भारतीय इतिहास के ज्ञान पर भरोसा न करना चाहिए।

केवल एक धृष्ट–अर्थात मूर्ख और जल्दबाज–परिणाम निकालने वाला ही ऐसा हो सकता है जो यह कहे कि भारतवर्ष में ग्राम्य शासन पद्धति का कभी विकास नहीं हुआ। मिस मेयो लिखती हैं– 'यह बात ध्यान देने की है कि भारतवर्ष का इतिहास–उत्तर का भी और दक्षिण का भी–केवल अगणित युद्धों और एक वंश को हटाकर दूसरे वंश के शासन ग्रहण करने की घटनाओं का इतिहास है। यहां के निवासियों में म्युनिस्पैलटी, स्वतंत्र नगर–प्रबंध, प्रजातंत्र और राजनैतिक ज्ञान आदि का भाव कभी उत्पन्न ही नहीं हुआ।' मिस मेयो ने अपने 'दरिद्रता का घर भारतवर्ष' नामक अध्याय में इसी प्रकार की अनेक सम्मतियां प्रकट की हैं। उनका न तो कोई ऐतिहासिक प्रमाण दिया गया है और न दिया ही जा सकता है। उसकी पुस्तक के 251वें पृष्ठ पर लिखा है– 'इस देश में एक स्थान से दूसरे स्थान को आने–जाने के लिए सड़कें ऐसी थीं जैसी कि बैलों के चलने से उनके खुरों के कारण कीचड़ और धूल में बन सकती हैं। ऐसे ही थोड़े से पुल भी थे।' परंतु इस बात का खंडन तो स्वयं मिस मेयो की पुस्तक की विषय सूची से हो जाता है। उसकी पुस्तक के एक अंश का शीर्षक है– 'ग्रैंड ट्रंक रोड।' यदि उसे इस बात का किंचितमात्र भी ज्ञान होगा कि ग्रैंड ट्रंक रोड क्या वस्तु है तो वह इतना अवश्य जानती होगी कि इस सड़क को न तो बैलों ने बनाया था न उसके अंग्रेज बहादुरों ने। सच बात तो यह है कि अंग्रेजों के आगमन से पूर्व भारतवर्ष की कुछ सड़कें ऐसी थीं जिनकी मीलों की लंबाई चार अंकों में गिनी जाती थी और रेल पथ बनने से पूर्व उनके एक सिरे से दूसरे पर पहुंचने के लिए यात्रियों को उन पर महीनों चलना पड़ता था।

भारतवर्ष ने ग्रेट ब्रिटेन को धनी बनाया है और ग्रेट ब्रिटेन ने भारतवर्ष को दरिद्र कर दिया है। यह कथा सब प्रकार से योग्य अंग्रेज और भारतीय प्रामाणिक लेखकों द्वारा अनेक पुस्तकों में कही गई है। मैंने अपनी 'इंग्लैंड पर भारतवर्ष का ऋण' नामक पुस्तक में उन्हीं सब बातों को घनीभूत किया है।

ब्रिटेन को अपनी औद्योगिक काया पलट में जो सफलता मिली है, उसमें भारतवर्ष का एक बड़ा भाग रहा है। इस बात को सब स्वीकार करते हैं परंतु ग्रेट–ब्रिटेन की औद्योगिक और आर्थिक उन्नति में भारत ने कितना अधिक योग दिया है? यह बात बहुत कम लोगों को विदित है। अंग्रेजों के आने से पहले भारतवर्ष की संपत्ति का ठिकाना नहीं था। उनके नरेशों के कोष सोने, चांदी की ईंटों और अमूल्य रत्नों से भरे थे। व्यवसाय और दस्तकारी की बड़ी उन्नति थी और विदेशों में बिक्री के लिए सब प्रकार की वस्तुएं बहुत अधिक मात्रा में भेजी जाती थीं। बदले में भारतवर्ष को खूब सोना और चांदी मिलती थी। लगभग डेढ़ शताब्दी से अधिक इंग्लैंड भारतवर्ष से रेशमी और सूती कपड़े, नील और मसाले खरीदता रहा है और बदले में उसे सोने–चांदी की ईंटें देता रहा है। इस काल में भारतवर्ष ने विदेशों से कौड़ी की भी वस्तु नहीं खरीदी। उस समय व्यापार की तुला पूर्ण रूप से भारतवर्ष के अनुकूल थी।

अब जरा इंग्लैंड की भी आर्थिक स्थिति पर विचार कर लीजिए। राबर्टसन का कहना है कि 'सोलहवीं शताब्दी में इंग्लैंड बहुत पिछड़ा हुआ देश था और समस्त धनी देशों के पूंजीपति लोग जो सूद पर रुपया देना चाहते थे, इसी ओर देखते थे।' सत्रहवीं शताब्दी के अंत में केवल इंग्लैंड की ही नहीं बल्कि समस्त यूरोप की परिस्थिति बड़े भयंकर रूप से बिगड़ गई थी। ब्रूक आदम्स के लेखों से यह बात स्पष्ट हो जाती है।

(इंडियन प्रेस लिमिटेड द्वारा 1928 ई. में प्रकाशित)

साभार–दैनिक जागरण

दिनांक–13 नवम्बर, 2022

हिन्दी कक्ष द्वारा सम्पादित एवं प्रकाशित दूरभाषः EPABX 7144

मुद्रकः सागर प्रिंटर्स एंड पब्लिशर्स, नई दिल्ली। ई–मेलः sagarprinters@gmail.com